

Register
Page

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय पिडावा जिला झालवाड राज0

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्राम गावामि जमाबंदी सं. 2074-277 के खाता सं. 10 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपीकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

भू प्रबंध खतौनी खाता सं.	भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि	वर्तमान जमाबंदी खाता सं.	वर्तमान इन्द्राज/ त्रुटी पूर्ण इन्द्राज	प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि)
1	2	3	4	5
		10	गावामि शरवण पुत्र उदलाद	सर्वत्र उक्त संकेतों पर उक्त उदलाद

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

वादी 1. ~~शरवण पुत्र उदलाद~~ शरवण पुत्र उदलाद जाति रावण गावामि
2. शरवण पुत्र उदलाद जाति रावण गावामि

गवाह ① उदलाद पुत्र शरवण जाति रावण गावामि


गवाह ② श्री गीलाल पुत्र शमनरावण जाति रावण गावामि

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम गावामि के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

हस्ताक्षर पटवारी
प0म0 शरवण

रिपोर्ट भू0अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट  शुद्धि किये जाने योग्य है।

शरवण
10/10/25
भू0अभिलेख निरीक्षक
भू0अ0नि0वृ0 शरवण

रिपोर्ट तहसीलदार/पेशेकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/573

दिनांक: 10/10/25

महोदय, जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख विरीक्षक अनुसार ग्राम गादिगा के वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्धि किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सावर प्रस्तुत है।

[Signature]
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
विद्यावा जिला झालावाड़ राज

आदेश

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विद्यावा जिला झालावाड़ राज

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/280

दिनांक: 05/11/25

वादी/प्राथी के ग्राम गादिगा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज चुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार [Signature] की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित चुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार [Signature] को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्राथी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

नवाली लखन उर्फ लखदी के खान पर
लखन उर्फ लखदी द्वारा बना है

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी विद्यावा
जिला झालावाड़ राज
विद्यावा, जिला झालावाड़ (राज)

